भारत सरकार के उपकरण CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली जनमानस की शिकायतों/समस्याओं/परिवारों के त्वरित निरस्तारण हेतु संचालित सी0एम0 हैल्युलाइन सहित सुश्री आरती बलोडी, राज्य परियोजना अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, देहरादून को शासकीय कार्यहित/जनहित में 01 जनवरी, 2020 से अग्रिम आदेशों तक CPGRAMS के नोडल अधिकारी का भी अतिरिक्त प्रभाव दिया जाता है।

सुश्री आरती बलोडी के वेतन, भत्ते/ अन्य सुविधाएं पूर्व की भारतीय अन्य स्थानों प्रशासनीय प्रशासन ( महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग) से ही आहरित किये जायेंगे।

यह सम्बद्धकरण आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

(राधा रतूडी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: /XXX (6)/20-01(08)2018 T.C. तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, माउ निदेशक, उत्तराखंड शासन।
3. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड शासन।
4. सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड शासन।
5. निदेशक, आईएमडीए, उत्तराखंड।
6. निदेशक, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड।
7. सम्बन्धित अधिकारी।
8. गाउंड फाईल।

(राधा रतूडी)
अपर मुख्य सचिव